पत्रांक: आयु0क0उत्तरा0/वैट–अनुभाग/07–08(37)/वाणिज्य कर/देहरादून/2009–10

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(वैट–अनुभाग)
दिनांक :: देहरादून :: 21 अप्रैल '09

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) वाणिज्य कर/
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर/
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

क)– दिनांक 01–04–09 से समस्त प्रदेश में कुछ नये खण्ड अस्तित्व में आए है। नये खण्डों के अस्तित्व में आने पर वर्ष 2007–08 व 2008–09 के लिए ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा वार्षिकी विवरणी दाखिल की गई है एवं यह विवरणी जांच पर सही पाई गई है, के सम्बन्ध में स्वतः निर्धारण योग्य वादों में से 20 प्रतिशत ऐसे वादों की छंटनी की जानी है, जिनका निस्तारण नियमित वाद के रूप में होना है। यह छंटनी नये खण्ड के अधिकार क्षेत्रानुसार मुख्यालय के पत्र सं0–2796/आयु0क0उत्तरा0/ वाणि0क0/ वैट–अनुभाग (37)/2007–08/ देहरादून दिनांक 27–11–07 द्वारा दी गई प्रक्रिया के अनुसार होनी है। इस प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित रजिस्टर में रसीद सं0– /दिनांक के बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध किंय जाने हेतु निर्देशित किथा गया था।

नये खण्डों के अस्तित्व में आने पर देहरादून सम्भाग में नये खण्ड दो भिन्न खण्डों के अधिकार क्षेत्र को मिलाकर अस्तित्व में आए हैं। अतः ऐसी स्थिति में नये खण्ड में उक्त प्राप्त विवरणी को निर्देशानुसार सूचीबद्ध करना सम्भव नहीं होगा। अतः उक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं :–

1– पूर्ववर्ती खण्डों के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे व्यापारी, जो अब नवसृजित खण्ड के क्षेत्राधिकार में आ गए है, की वार्षिक विवरणी कर निर्धारण पत्रावली सहित नवसृजित खण्ड को प्रेषित कर दी जाएगी।

2– नवसृजित खण्ड में दिनांक 27–11–07 को जारी परिपत्र के अनुरूप रजिस्टर बनाया जाएगा।

3– यदि नवसृजित खण्ड एक ही खण्ड से अलग होकर अस्तित्व में आया है तो वार्षिक विवरणी को आर–29 की रसीद सं0/दिनांक के बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा।

4– यदि नवसृजित खण्ड एक से अधिक खण्डों के व्यापारियों से अस्तित्व में आया है तो वार्षिक विवरणी को दिनांक के बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि एक ही दिनांक में एक से अधिक वार्षिक विवरण प्राप्त हुए हैं तो उनको उस दिनांक में अंग्रेजी वर्णाक्षरों के बढ़ते क्रम (Alphabatical Order) में सूचीबद्ध किया जाएगा।

5– नवसृजित खण्डों में शेष प्रक्रिया परिपत्र दिनांक 27–11–07 के अनुरूप पूरी की जाएगी।

6– पूर्ववर्ती खण्डों में प्राप्त वार्षिक विवरणी की संख्या कम हो जाने के कारण कालम–1 में प्रारम्भिक क्रम संख्या पुनः लाल रंग से डाली जाएगी। इसके उपरान्त शेष प्रक्रिया उक्त परिपत्र के अनुरूप पूरी की जाएगी।

–2–

ख)– कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के वादों के लिए रैण्डम चयन हेतु सम्भागवार रैण्डम टेबल के स्तम्भ (Column) का आबंटन निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र0सं0	सम्भाग	स्तम्भ
1	देहरादून	7
2	हरिद्वार	14
3	काशीपुर	21
4	हल्द्वानी	28

उक्त निर्देशों का यथानुसार पालन किया जाएगा।

(एल.एम.पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

193
पृ0प0सं0 / दिनांक :: उक्त ::
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन, देहरादून/कुमाऊँ जोन, रूद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियॉ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन/उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रूद्रपुर।
8– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9– श्री राकेश वर्मा, महासचिव, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवासंघ 2/5 आशीर्वाद एन्क्लेव देहरादून।
10– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी ।
11– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
12– नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
13– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
14– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
15– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
16– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

21/4/2009
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड,देहरादून।